

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग
क्रमांक प. 14(4) शिक्षा-1/अलवर/2014पार्ट

जयपुर, दिनांक 13-06-2016

:: आदेश ::

शिक्षा विभाग के अधीन संचालित कक्षा 6 से 10/12 के विद्यालयों में उनके आस-पास उसी स्थान पर संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को समन्वित कर कक्षा 1 से 10/12 के, समन्वित (एकीकृत) विद्यालयों की स्थापना की गयी। जिन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध था एवं कक्षा 1 से 5/8 के विद्यार्थियों के लिये इन परिसरों में अध्ययन हेतु आना सुविधाजनक था, उन विद्यालयों में कक्षा 1 से 10/12 तक की समस्त कक्षाओं का संचालन एक ही परिसर में किया जा रहा है तथा अन्य समन्वित विद्यालयों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन पृथक-पृथक भवनों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जा रहा है। परन्तु दोनों ही मामलों में समन्वित (एकीकृत) विद्यालय को एक ही प्रशासनिक इकाई मानते हुए संचालित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ हुए हैं :-

- i. प्राथमिक कक्षाओं को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को समन्वित करने से इन कक्षाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का हो गया। जिसके फलस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं की बेहतर मॉनिटरिंग होने से विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है।
- ii. एकीकरण के फलस्वरूप इन विद्यालयों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में वर्ष 2015-16 में नामांकन में वृद्धि हुई है।
- iii. प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण समन्वित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थाप्रधान के पास होने के फलस्वरूप शिक्षकों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक कार्य में भी सुधार हुआ है।

अलवर जिले के वर्तमान में संचालित कक्षा 6 से 10, 6 से 12 तथा 9 से 12 के विद्यालयों को कक्षा 1 से 10/12 के विद्यालय में परिवर्तित करने के लिये कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित विद्यालय में कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित विद्यालय को **समन्वित** करते हुए कक्षा 1 से 10/12 तक के समन्वित (एकीकृत) विद्यालय गठित करने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

जिला-अलवर

क. राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन

क्र०स०	पंचायत समिति/ नगरपालिका	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम/ वार्ड नं.	राउमावि/मावि. (एकीकृत)	समन्वित विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1	रैणी	डोरोली	डोरोली	राउमावि डोरोली	राप्रावि डोरोली नवीन
2	बहरोड	बसई	बसई	राउमावि खोहर बसई	राप्रावि बसई
3	तिजारा	झिवाणा	झिवाणा	राउमावि झिवाणा	राप्रावि जवर खां की ढांणी
4	बानसूर	हरसोरा	हरसोरा	राउमावि हरसोरा	राप्रावि अहीरों की ढांणी
5	राजगढ	दरीबा प्रोजेक्ट	दरीबा प्रोजेक्ट	राउमावि दरीबा प्रोजेक्ट	राप्रावि दरीबा प्रोजेक्ट
6	कोटकासिम	कोटकासिम	कोटकासिम	राउमावि कोटकासिम	राप्रावि कोटकासिम
7	कोटकासिम	जोडिया	जोडिया	राउमावि जोडिया	राप्रावि इन्दिरा कॉलानी जोडिया
8	थानागाजी	नारायणपुर	नारायणपुर	राबाउमावि नारायणपुर	राबाउप्रावि नारायणपुर
9	थानागाजी	थानागाजी	थानागाजी	राबाउमावि थानागाजी	राबाउप्रावि थानागाजी
10	राजगढ	राजगढ	राजगढ	राउमावि राजगढ	राउप्रावि आदर्श राजगढ
11	अलवर शहर	नगर परिषद्	वार्ड नं.-46	रा०यशवन्त उमावि अलवर	राउप्रावि अखैपुरा
12	तिजारा	नगर पालिका	वार्ड नं.-16	राउमावि तिजारा	राउप्रावि दर्जनवाली तिजारा
13	अलवर शहर	नगर परिषद्	अलवर शहर	राउमावि प्रताप अलवर	राप्रावि चमेली बाग अलवर
14	अलवर शहर	नगर परिषद्	अलवर शहर	राबाउमावि एस०एम०डी०अलवर	राबाउप्रावि फ्रेण्डस कॉलानी
15	अलवर शहर	नगर परिषद्	अलवर शहर	राबाउमावि देवीजी की गली अलवर	राबाउप्रावि देवीजी की गली अलवर
16	बहरोड	नगर पालिका	नगर पालिका	राबाउमावि बहरोड	राबाउप्रावि नं.-1 बहरोड
17	तिजारा	नगर पालिका	नगर पालिका	राबाउमावि तिजारा	राबाप्रावि काजी वाडा
18	किशनगढदास	खैरथल	खैरथल	राउमावि खैरथल	राउप्रावि कस्बा खैरथल
19	बानसूर	लालपुरा	लालपुरा	रामावि लालपुरा	राप्रावि काबरा भांटा
20	बानसूर	बिलाली	बडागांव	रामावि बडागांव	राप्रावि बढियाल की ढांणी

21	अलवर शहर	नगर परिषद्	अलवर शहर	रामावि नयाबास	राउप्रावि सागर
22	अलवर शहर	नगर परिषद्	अलवर शहर	रामावि गांधी नेशनल अलवर	राउप्रावि थाना हाउस अलवर

उपरोक्तानुसार एकीकृत राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन निम्न दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा:-

- i. समाहित विद्यालय का पृथक से कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा एवं समन्वित(एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय (समाहित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित) का प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन रहेगा।
- ii. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक इन विद्यालयों के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों के लिये पूर्ण रूप से अधिकृत एवं उत्तरदायी होंगे।
- iii. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में समाहित होने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समस्त परिसम्पतियां यथा भूमि, भवन, खेल मैदान, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, स्थायी एवं अस्थायी परिसम्पतियाँ, उपयोगी एवं अनुपयोगी सामग्री आदि का हस्तान्तरण समन्वित (एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में स्वतः ही हो जायेगा।
- iv. एकीकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय की समस्त कक्षाएं (कक्षा 1 से 12 अथवा 1 से 10) यथा संभव एक ही भवन/परिसर में संचालित होंगी। यदि स्थान की अनुपलब्धता अथवा विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से समस्त कक्षाएं एक ही परिसर में संचालित किया जाना संभव न हो तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक से स्वीकृति प्राप्त कर कक्षाओं का संचालन पृथक-पृथक परिसरों में किया जा सकता है। परन्तु कक्षा 1 से 12/1 से 10 कक्षा के एकीकृत विद्यालय की प्रत्येक कक्षा केवल एक ही परिसर में संचालित होगी, अर्थात् एक कक्षा दो परिसरों में पृथक-पृथक संचालित नहीं होगी।
- v. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में एकीकरण के उपरान्त कक्षा 1 से 12/1 से 10 संचालित होगी। यह व्यवस्था समान रूप से लागू होगी। उदाहरण के लिए अगर एकीकरण के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 के विद्यालय में 1 से 5 के विद्यालय को ही

